

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी नकुड।

वाद संख्या: 463/2012-13

धारा 143 ज.वि. अधिनियम

सतगुरु इस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी सररपुर तगा टाबर रोड

ग्राम: नकुड बा080

बनाम

परगना: व

सरकार

आदेश

दिनांक 11/04/13

तहसील नकुड

तहसीलदार नकुड की आख्या दिनांक 10.04.2013 के आधार पर वाद पंजीकृत किया गया। तहसीलदार नकुड की आख्या के अनुसार निम्नवर्णित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है और मौके पर कालेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि का अकृषिक घोषित कर लगान समाप्त करने की संस्तुति की गयी है।

ग्राम	भूमिधारक का नाम	निवास स्थान	खता सं०/ खत नं०	खेत का क्षेत्र है० में	माल गुजारी रूपमें में
नकुड बाहर हदद	सतगुरु इस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी सररपुर तगा, टाबर रोड द्वारा अध्यक्ष कुलबीर कौर पत्नी जगजीत सिंह	नकुड	113/485/2	1.0605	41.85

तहसीलदार नकुड की उक्त आख्या से सन्तुष्ट होते हुए उक्त वर्णित भूमि अकृषिक घोषित की जाती है तथा लगान समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार नकुड तथा सब रजिस्ट्रार नकुड को भेजी जाए। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक: 11 अप्रैल, 2013

(आर.पी.श्रीवास्तव)  
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी /  
उपजिलाधिकारी नकुड।

सत्य प्रतिलि

Secretary  
National Institute of Education & Technology  
(N.I.E.T.)

